न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/6110/2002/धौलपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाडी जिला धौलपुर

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. मु0 रतनी बेवा डरूआ
2. श्रीराम पुत्र डरूआ
3. रामनिवासी पुत्र डरूआ
   कौम मीना निवासी अमरेह तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....**रेस्पोडेण्ट्स**

खण्ड पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री शिव प्रकाश चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

———

निर्णय

दिनांकः—29.08.2025

1— उपरोक्त अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं0 75/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16—08—02 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस अपील पर सुनी गयी।

3— अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कानूनी एवं वाक्याती तथ्यों पर विचारण नहीं कर गंभीर भूल की है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 145 के आवंटन को सिद्ध नहीं किया तथा पटवारी रामप्रकाश के बयान कि उक्त खसरा में कोई जिन्स अंकित नहीं है तथा आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया। ऐसे अहम पहलुओं पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं कर कानूनी त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी

बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी पर दावे के समय रेस्पो0 / वादीगण कब्जे काश्त में नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में भूल की है की आवंटन पश्चात् शर्तों की पालना की गयी, जबकि रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि शर्तों का पालन नहीं किया गया है तथा आवंटन के 18 वर्षों बाद दावा लाया गया तथा दावे के वक्त कब्जा भी नहीं था। विचारण न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं थी जिसके बावजूद भी अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर भारी भूल की है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–08–2002 को निरस्त फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–02–2001 बहाल रखे जाने के आदेश फरमाये जावें।

4– हमनें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर की गयी एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो0 ने एक वाद परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के समक्ष दावा इस्तकरारहक, हुक्मइमतनाई दवामी व दुरूस्ती इंद्राज का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रश्नगत आराजी वाके ग्राम उमरेह तहसील बाडी में स्थित गत खसरा नम्बर 145 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं साबिक खसरा नम्बर 649 रकबा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 649 रकबा 7 बिस्वा कायम हुए है बाबत् प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् तहसीलदार बाडी ने दिनांक 01–08–96 को जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किये जाने का कथन किया। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी ने अपने निर्णय दिनांक 22–02–2001 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–02–2001 से व्यथित होकर रेस्पो0 ने अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 16–08–2002 के द्वारा अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–02–2001 को निरस्त करते हुए वादीगण रेस्पो0 को आराजी साबिक खसरा नम्बर 145 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 649 रकबा 7 बिस्वा का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में इंद्राज किये जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–08–2002 से व्यथित होकर अपीलाण्ट सरकार जरिये तहसीलदार बाडी ने मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष हक घोषणा एवं इंद्राज दुरूस्ती का वाद पेश किया था जिसमें प्रश्नगत आराजी उनके पक्ष में दिनांक 19–07–63 को आवंटन कमिटी द्वारा विधिवत रूप से आवंटन होना कथित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में यदि उक्त भूमि का आवंटन रेस्पो0

के पक्ष में किया गया है तो उनके द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गयी है अथवा नहीं इस सन्दर्भ में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का विवेचन / विश्लेषण नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि आवंटन के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने है तो वे आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकते है जिसमें आवंटन अधिकारी को यह देखना रहता है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गयी है अथवा नहीं । प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के समक्ष पैरोकार सरकार तहसीलदार बाडी ने अपना जवाबदावा पेश किया है उसमें उनके द्वारा पैरा संख्या 02 में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि ''आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2050–53 में सिवायचक दर्ज रिकार्ड रही है। जब आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी होगी इसलिए उन्हें खसरा नम्बर 145 को 18 वर्ष उपरांत भी गैर खातेदारी प्रदत्त नहीं की गयी है।'' इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट रूप से साबित है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के बाबत् आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है इसलिए उक्त भूमि जमाबंदी सम्वत् 2050–53 में सिवायचक दर्ज रिकार्ड रही है। उपर्युक्त स्थिति में उपर किये गये विवेचन / विश्लेषण से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। हमने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया। परीक्षण न्यायालय ने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के उपरांत विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

5– परिणामतः उपरोक्त विवेचन / विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–08–2002 निरस्त किया जाता है एवं परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–02–2001 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढा)
सदस्य

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य